



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 26.02.2026

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 अलग-अलग मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कारावास व 14000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कारावास व 14000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-15/23 धारा 279/337/427 भादवि के अभियुक्त राजकुमार पुत्र छन्नू निवासी बरेमा थाना जन्सा जनपद वाराणसी को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-108/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त रवि पुत्र ग्यादीन निवासी खाईपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना मटौंध पर पंजीकृत मु0अ0सं0-226/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सुरेश पुत्र रामसजीवन निवासी भभऊ थाना प्रकाश बम्हौरी जनपद छतरपुर(म0प्र0) को 02 वर्ष 04 माह की सजा व 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।